न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(S.D.O.), शिवगंज जिला–सिरोही

बइजलास श्रीमती शकुंतला, आर0ए0एस0

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोंडेंट
संग्रामाराम पुत्र सोमतीजी जाति रेबारी निवासी चांदाणा तहसील शिवगंज जिला सिरोही		1.संस्था प्रधान, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, चांदाणा तहसील शिवगंज 2. ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, पंचायत समिति शिवगंज, जिला सिरोही 3.सरपंच, ग्राम पंचायत केसरपुरा
विद्वान अधिवक्ता श्री शंकर दयाल सुथार		विद्वान अधिवक्ता श्री सुनिल कुमार गहलोत (1 व 2)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी शिवगंज (राजस्थान)

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956 व
राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम

राजस्व अपील संख्यां–03/2024

– : निर्णय : –

दिनांक 02.08.2024

उपरोक्त अनवान सदर में अपीलाण्ट ने अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956 व राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम के तहत विरुद्ध नामान्तरकरण संख्या 269 दिनांक 13.08.2010 निरस्त करने का पेश किया गया, जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम चान्दाणा के खसरा नंबर 12 रकबा 1.10 बीघा सोमती पुत्र वीरा रेबारी के नाम से जमाबंदी संवत 2066 से 2069 तक खातेदारी में दर्ज रही हैं। नामान्तरकरण संख्या 267 दिनांक 05.07.2010 के जरिये विरासत का नामान्तरकरण अपीलार्थी के नाम स्वीकृत हुआ था। संपूर्ण भूमि पर अपीलांट का आदिनांक तक लगातार कब्जा काश्त रहा हैं। अपीलार्थी अनपढ व्यक्ति है, जो पढना लिखना नहीं जानता। अपीलार्थी को दिनांक 08.07.2010 को गांव चान्दाणा के प्रभावशाली व्यक्तियों ने डरा धमका कर एवं बैंक का कार्य बताकर झुठा गिफ्ट डीड तैयार करवाकर रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 के हक में निष्पादित करवा दिया गया हैं। जबकि अपीलाधीन भूमि का कब्जा आज दिन तक अपीलांट के पास हैं। अपीलांट ने अपीलाधीन भूमि कभी भी रेस्पोडेन्ट के हक में ना तो गिफ्ट की ना ही उक्त भूमि का कब्जा दिनांक 08.07.2010 अथवा उसके पश्चात रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 के हक में कब्जा परिदान नहीं किया, जिससे उक्त रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड अपने आप में शून्य हैं। रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड में कानूनन कब्जा का परिदान करना व कब्जा प्राप्त करना आवश्यक तत्व हैं। जिसके अभाव में कानूनन गिफ्ट स्वीकार किया जाना नहीं माना जा सकता हैं। शून्य रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड दिनांक 08.07.2010 में बताई गई भूमि 1.05 बीघा दर्ज है, जबकि अपीलांट की खातेदारी 1.10 बीघा भूमि की थी। परंतु रेस्पोडेन्ट सं. तीन ने रेस्पोडेन्ट सं. एक व दो के हक में उक्त शून्य रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड में दर्ज 1.05 बीघा भूमि से अधिक भूमि का यानि कि संपूर्ण 1.10 बीघा भूमि का नामान्तरकरण गलत तरीके से स्वीकृत कर दिया जो अपास्त होने योग्य हैं। अपीलांट द्वारा उक्त शून्य नामान्तरकरण संख्या 269 दिनांक 13.08.2010 की हाल ही में राजस्व रेकर्ड की नकले मांगने पर उक्त नामान्तरकरण की प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 05.06.2024 को प्राप्त हुई, जिससे पता चला कि उक्त नामान्तरकरण में 1.05 बीघा की जगह 1.10 बीघा भूमि का संपूर्ण नामान्तरकरण दायर किया गया हैं। जिससे प्रार्थी को उक्त गलत नामान्तरकरण की जानकारी होने की दिनांक 05.06.24 से अन्दर मयाद रेस्पोडेन्ट के विरुद्ध अपील पेश की हैं। अतः अपीलांट द्वारा की गई अपील स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम पंचायत केसरपुरा द्वारा नामान्तरकरण संख्या 269 दिनांक 13.08.2010 को निरस्त करने का निवेदन किया गया हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2024.09.04 11:03:20 IST
Reason: SelfAttested

अपीलाण्ट की अपील दर्ज रजिस्टर किए जाकर रेस्पोडेण्ट को सम्मन जारी हुए। रेस्पोडेण्ट संख्या तीन का सम्मन तामिल होने के उपरांत भी अनुपस्थित होने से उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई तथा रेस्पोडेण्ट संख्या एक ता दो की ओर से अधिवक्ता श्री सुनिल गहलोत ने अपील का जवाब न देकर सीघे ही बहस हेतु निवेदन किया जिसे स्वीकार किया गया। व सीधे ही वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई। दौराने बहस रेस्पों0 अधिवक्ता ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील में वर्णित 1.10 बीघा भूमि के स्थान पर 1.05 बीघा भूमि का नामांतरकरण सुधारने हेतु अपनी सहमति प्रदान की गई। व इसी दिन उभय वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई।

लगातार पेज–2

अपील सं0 03/2024
संग्रामसिंह बनाम संस्था प्रधान चांदाणा
अन्तर्गत धारा 75 एलआरएक्ट व 5 म्याद अधिनियम

हमनें पत्रावली का अवलोकन, संलग्न दरतावेज एवं विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया, तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अपीलांट अनपढ होने तथा कानूनी व नामान्तरकरण प्रक्रियाओं से अनभिज्ञ था जिससे अपीलान्ट इस विश्वास में रहा कि उक्त आराजी में अपीलाण्ट के गिफ्ट डीड करने के पश्चात सही रूप से नामांतरकरण भरा होगा। परन्तु अपीलान्ट को प्रथम बार राजस्व रेकर्ड की नकल दिनांक 05.06.2024 को प्राप्त हुई तब इसकी जानकारी हुई कि अपीलांट द्वारा गिफ्ट की गई भूमि रकबा 1.05 बीघा की जगह 1.10 बीघा का नामांतरकरण हो चुका है। अपीलान्ट ने अपील अंदर म्याद प्रस्तुत की है।

अतः अपीलांट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम व अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर सरपंच ग्राम पंचायत केसरपुरा द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण बिना गिफ्टडीड की जांच किये बिना पारित किये जाने से उक्त नामान्तरकरण संख्या 269 आदेश दिनांक 13.08.2010 को अपास्त किया जाता है। अतः प्रकरण तहसीलदार शिवगंज को रिमांड किया जाता है कि अपीलांट द्वारा मूल गिफ्टडीड का अवलोकन कर एक माह के भीतर नामान्तरकरण संबंधी कार्यवाही का निस्तारण आवश्यक रूप से करें। निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

यह निर्णय आज दिनांक 02.08.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया ।

(शकुंतला चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.)
शिवगंज
उपखण्ड अधिकारी
शिवगंज (सिरोही)

क्रमांक/कोर्ट/2024/ 537 दिनांक 02.08.2024

प्रतिलिपिः–
तहसीलदार शिवगंज को पालना कर रिपोर्ट भिजवाने हेतु प्रेषित है।

उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.)
उपखण्ड अधिकारी
शिवगंज (सिरोही)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी शिवगंज (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2024.09.04 11:03:20 IST
Reason: SelfAttested